पंजीकरण संख्या–UA/DO/DDN/30/2021-2023

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की

खण्ड–22] रुड़की, शनिवार, दिनांक 18 सितम्बर, 2021 ई0 (भाद्रपद 27, 1943 शक सम्वत्) [संख्या–38

विषय–सूची

प्रत्येक भाग के पृष्ठ अलग–अलग दिये गए हैं, जिससे उनके अलग–अलग खण्ड बन सकें

विषय	पृष्ठ संख्या	वार्षिक चन्दा रु0
सम्पूर्ण गजट का मूल्य	–	3075
भाग 1–विज्ञप्ति–अवकाश, नियुक्ति, स्थान–नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस ...	491–496	1500
भाग 1–क–नियम, कार्य-विधियां, आज्ञाएं, विज्ञप्तियां इत्यादि जिनको उत्तराखण्ड के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया ...	363–365	1500
भाग 2–आज्ञाएं, विज्ञप्तियां, नियम और नियम विधान, जिनको केन्द्रीय सरकार और अन्य राज्यों की सरकारों ने जारी किया, हाई कोर्ट की विज्ञप्तियां, भारत सरकार के गजट और दूसरे राज्यों के गजटों के उद्धरण	–	975
भाग 3–स्वायत्त शासन विभाग का क्रोड़-पत्र, नगर प्रशासन, नोटीफाइड एरिया, टाउन एरिया एवं निर्वाचन (स्थानीय निकाय) तथा पंचायतीराज आदि के निदेश जिन्हें विभिन्न आयुक्तों अथवा जिलाधिकारियों ने जारी किया ...	–	975
भाग 4–निदेशक, शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड	–	975
भाग 5–एकाउन्टेन्ट जनरल, उत्तराखण्ड	–	975
भाग 6–बिल, जो भारतीय संसद में प्रस्तुत किए गए या प्रस्तुत किए जाने से पहले प्रकाशित किए गए तथा सिलेक्ट कमेटियों की रिपोर्ट	–	975
भाग 7–इलेक्शन कमीशन ऑफ इण्डिया की अनुविहित तथा अन्य निर्वाचन सम्बन्धी विज्ञप्तियां	–	975
भाग 8–सूचना एवं अन्य वैयक्तिक विज्ञापन आदि ...	273–283	975
स्टोर्स पर्चेज–स्टोर्स पर्चेज विभाग का क्रोड़-पत्र आदि ...	–	1425

भाग 1

विज्ञप्ति–अवकाश, नियुक्ति, स्थान–नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस

लोक निर्माण अनुभाग–1

कार्यालय ज्ञाप

06 अगस्त, 2021 ई0

संख्या 1577/III(1)/2021–15(अधि0)2005, TC-1–लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड के अन्तर्गत अधिशासी अभियन्ता (सिविल) के पद पर मौलिक रूप से नियुक्त श्री यू0एस0 रावत को नियमित चयनोपरान्त कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से अधीक्षण अभियन्ता (सिविल), वेतनमान रू0 1,23,100–2,15,900 (वेतन मैट्रिक्स लेवल–13) के रिक्त पद पर पदोन्नत करने की मा0 राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2–श्री यू0एस0 रावत को अधीक्षण अभियन्ता (सिविल) के पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से 01 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर रखा जाता है।

3–श्री रावत, प्रमुख अभियन्ता कार्यालय, देहरादून में योगदान आख्या प्रस्तुत करते हुये अग्रिम आदेशों तक वर्तमान तैनाती स्थान पर ही कार्य करते रहेंगे।

आज्ञा से,

रमेश कुमार सुधांशु,
प्रमुख सचिव।

न्याय अनुभाग–3

अधिसूचना

नियुक्ति

25 अगस्त, 2021 ई0

संख्या 208/XXXVI-A-3/2021–208/01 टीसी I–कुटुम्ब न्यायालय अधिनियम–1984 (अधिनियम संख्या–66, सन् 1984) की धारा–4 की उपधारा (1) में प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके श्री राज्यपाल, मा0 उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय, नैनीताल की सहमति से न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय–द्वितीय, रूद्रपुर, जनपद ऊधमसिंह नगर को अपने कर्तव्यों के निर्वहन के अतिरिक्त न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय–प्रथम, रूद्रपुर, जनपद ऊधमसिंह नगर के रिक्त पद पर, नियुक्ति होने अथवा अग्रिम आदेशों तक, जो भी पहले हो, तक के लिये, नियुक्त करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

आज्ञा से,

राजेन्द्र सिंह,
प्रमुख सचिव।

सिंचाई अनुभाग–1

विज्ञप्ति / पदोन्नति

30 जुलाई, 2021 ई0

संख्या 873 / II(1) / 2021–01(32) / 2011–सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड में शोध पर्यवेक्षक वेतनमान रू0 35400–112400 पे मैट्रिक्स–6 से सहायक शोध अधिकारी वेतनमान रू0 56,100–1,77,500 पे मैट्रिक्स–10 के रिक्त पदों पर नियमित पदोन्नति हेतु लोक सेवा आयोग, हरिद्वार के पत्र संख्या–50 / 82 / 02 / डी0पी0सी0 (स0शो0अ0) / सेवा–1 / 2020–21 दिनांक 30.07.2021 द्वारा नियमित चयनोपरान्त की गयी संस्तुति के आधार पर निम्नलिखित शोध पर्यवेक्षकों को सहायक शोध अधिकारी के पद पर वेतनमान रू0 56,100–1,77,500 पे मैट्रिक्स–10 में कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से पदोन्नति प्रदान किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है :–

चयन वर्ष 2019–20

1. श्री विजय कुमार कश्यप
2. श्री नवीन कुमार अग्रवाल
3. श्री जयबीर सिंह
4. श्री जगपाल
5. श्री महिपाल सिंह

चयन वर्ष 2020–21

1. श्री रघुवीर सिंह
2. श्री जनेश्वर प्रसाद

आयोग की संस्तुति के क्रम में उक्त पदोन्नति मा0 उच्च न्यायालय, नैनीताल में योजित रिट याचिका संख्या–363 / WPSB/2017 एवं रिट याचिका संख्या–1483 / WPSS/2020 में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित किये जाने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन होगी।

आज्ञा से,

हरिचन्द्र सेमवाल,
सचिव।

चिकि0 स्वा0 एवं चिकि0 शिक्षा अनुभाग–2

प्रोन्नति / विज्ञप्ति

05 अगस्त, 2021 ई0

संख्या 607 / XXVIII-2-2021-76 / 2015–चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभागान्तर्गत भेषजिक (फार्मासिस्ट) वेतनमान रू0 35400–112400 पे–मैट्रिक्स लेवल–06 के पद पर मौलिक रूप से कार्यरत निम्नांकित कार्मिकों को विभागीय चयन समिति की संस्तुति पर नियमित चयनोपरान्त मुख्य भेषजिक (चीफ फार्मासिस्ट) वेतनमान रू0 56100–177500 पे–मैट्रिक्स लेवल–10 के रिक्त पदों पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से पदोन्नति प्रदान किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :–

1. श्री गौर सिंह फर्स्वान
2. श्री नरेन्द्र भूषण जोशी
3. श्री राममूर्ति कोठियाल
4. श्री वीरेन्द्र सिंह पंवार
5. श्री देवेन्द्र सिंह शर्मा
6. श्री बी0 के0 पाण्डे
7. श्री पूर्ण सिंह कण्डारी
8. श्री संजय गैरोला
9. श्री जीवन सिंह नायक
10. श्री दिनेश चन्द्र वर्मा
11. श्री आर0 एस0 बिष्ट
12. श्री राजेन्द्र सिंह भण्डारी
13. श्री वी0पी0एस0 रावत
14. श्री आर0 एस0 रौतेला
15. श्री प्रकाश उनियाल
16. श्रीमती रमा बलोदी
17. श्री पतंजलि पुरोहित
18. श्री आर0 एस0 मोज
19. श्री तारा दत्त उप्रेती
20. श्री नवीन चन्द्र जोशी
21. श्री सुरेशानन्द बडथ्वाल
22. श्री आर0 एस0 मनराल
23. श्री प्रमोद कुमार जोशी
24. श्री जगदीश प्रसाद उनियाल
25. श्री के0 के0 माहेश्वरी
26. श्री डी0 पी0 बहुगुणा
27. श्री एन0 पी0 कुकरेती
28. श्री सरयू प्रसाद तिवारी
29. श्री बी0 पी0 चमोली
30. श्री जीवन सिंह रौतेला
31. श्री खुशाल सिंह मनोला
32. श्री प्रमोद सिंह नेगी
33. श्री दीवान सिंह बनौला
34. श्री प्रताप सिंह शाही
35. श्री एन0 के0 पाण्डे
36. श्री महिप चन्द्र काण्डपाल
37. श्री के0एन0एस0 नेगी
38. श्री एस0 डी0 उनियाल
39. श्री बचन सिंह नेगी
40. श्री दिनेश चन्द्र मिश्रा
41. श्री बी0 डी0 शाह
42. श्री आर0 सी0 खुल्बे
43. श्री इन्द्र सिंह परिहार
44. श्री बचे सिंह खाती
45. श्री हरपाल सिंह गुसांई
46. श्री बी0 बी0 जोशी
47. श्री सी0 एल0 भट्ट
48. श्री बृजराज सिंह नेगी
49. श्री एन0 एस0 टंगडिया
50. श्री सुदर्शन प्रसाद

दिव्यांग श्रेणी

1. श्री मदन मोहन सिंह कैडा
2. श्री एन0 डी0 देवराडी
3. श्री हरीश चन्द्र सती
4. श्री राजेन्द्र सिंह रावत
5. श्री जगदीश चन्द्र जोशी
6. श्री सुनील कुमार गर्ग

2. उक्त पदोन्नत अधिकारियों को मुख्य भेषजिक (चीफ फार्मासिस्ट) के पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से 02 वर्ष की विहित परिवीक्षा पर रखा जायेगा।

3. उक्त पदोन्नत अधिकारियों के तैनाती के सम्बन्ध में आदेश पृथक से निर्गत किये जायेंगे।

आज्ञा से,

अमित सिंह नेगी,
सचिव।

सिंचाई अनुभाग–1

विज्ञप्ति

09 अगस्त, 2021 ई0

संख्या 823/II(1)/2021–01(46)2002–एतद्द्वारा यह विज्ञप्ति की जाती है कि सिंचाई विभाग में कार्यरत श्रेणी "ख" के निम्नलिखित अधिकारी की उनके नाम के सम्मुख अंकित तिथि को 60 वर्ष की अधिवर्षता आयु पूर्ण करने के पश्चात् सेवानिवृत्त हो जायेंगे :–

क्र0सं0	अधिकारी का नाम	जन्मतिथि	पदनाम	सेवानिवृत्ति की तिथि
1.	श्री कृपाल दत्त पन्त	01 दिसम्बर, 1961	सहायक अभियन्ता	30 नवम्बर, 2021

हरिचन्द्र सेमवाल,
सचिव।

पशुपालन अनुभाग–3 (मत्स्य)

कार्यालय–ज्ञाप

27 अगस्त, 2021 ई0

संख्या 582/XV-3/2021–11(07)2021–मत्स्य विभागान्तर्गत संयुक्त निदेशक (वेतनमान रू0 78800–209200/– लेवल–12) के पद पर चयन हेतु गठित विभागीय पदोन्नति समिति/चयन समिति द्वारा की गयी संस्तुतियों के आधार पर श्री हरिकृष्ण पुरोहित, उप निदेशक, मत्स्य को नियमित चयनोपरान्त संयुक्त निदेशक, मत्स्य के पद पर कार्यभार ग्रहण किये जाने की तिथि से अस्थाई रूप से संयुक्त निदेशक, मत्स्य के पद पर पदोन्नत किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2– श्री हरिकृष्ण पुरोहित के तैनाती आदेश पृथक से निर्गत किये जाएंगे।

3– सेवा नियमावली में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत श्री हरिकृष्ण पुरोहित को संयुक्त निदेशक के पद पर 02 वर्ष की परिवीक्षा अवधि में रखा जाता है।

4– यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

आज्ञा से,

आर0 मीनाक्षी सुन्दरम्,
सचिव।

वन अनुभाग–02

अधिसूचना

19 अगस्त, 2021 ई0

संख्या 1776/X–2–2021–19(04)2014–वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 (यथा–संशोधित 2002) (केन्द्रीय अधिनियम संख्या 53, सन् 1972) की धारा 6 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उत्तराखण्ड राज्य हेतु शासन की अधिसूचना संख्या–432/X–2–2015–19(04)2014 टी0सी0, दिनांक 31.01.2015 द्वारा गठित राज्य वन्य जीव बोर्ड (State Board of Wildlife) में उक्त निर्गत अधिसूचना के क्रमांक–16, 17 एवं 18 में दी गयी व्यवस्थानुसार निम्नलिखित सदस्यों को एक वर्ष के लिए राज्य सरकार द्वारा नामित किए जाने की श्री राज्यपाल, सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है :–

क्र0 सं0	राज्य वन्य जीव सलाहकार बोर्ड में सम्मिलित महानुभाव/अधिकारी	पद	अवधि
धारा 6(1) ग में प्रदत्त शक्तियों के अधीन राज्य सरकार द्वारा नामित विधान सभा के तीन सदस्य।			
1.	श्री महेन्द्र भट्ट मा0 सदस्य विधान सभा, उत्तराखण्ड।	सदस्य	01 वर्ष
2.	श्री संजय गुप्ता, मा0 सदस्य, विधान सभा, उत्तराखण्ड।	सदस्य	01 वर्ष
3.	श्री नवीन चन्द्र दुम्का, मा0 सदस्य, विधान सभा, उत्तराखण्ड।	सदस्य	01 वर्ष
धारा 6(1) घ में प्रदत्त शक्तियों के अधीन राज्य सरकार द्वारा नामित वन्य जीव से सम्बन्धित दो गैर सरकारी संगठनों के प्रतिनिधि।			
1.	विश्व प्रकृति निधि (डब्ल्यू0डब्ल्यू0एफ0) देहरादून, दिल्ली, हल्द्वानी।	सदस्य	01 वर्ष
2.	बी0एन0चौ0एस0 (बाम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी), मुम्बई।	सदस्य	01 वर्ष
धारा 6(1) (ड.) में प्रदत्त शक्तियों के अधीन राज्य सरकार द्वारा नामित 3 सुविख्यात संरक्षण विज्ञानी, पारिस्थितिकी विज्ञानी और पर्यावरण विज्ञान के प्रतिनिधि।			
1.	श्री एस0एस0बिष्ट, भारतीय वन सेवा (से0नि0)।	सदस्य	01 वर्ष
2.	डॉ0 जी0एस0 रावत, भू0पू0 निदेशक, भारतीय वन्य जीव संस्थान।	सदस्य	01 वर्ष
3.	श्री बी0एस0बरफाल, भारतीय वन सेवा, प्रमुख वन संरक्षक (से0नि0), (अनुसूचित जनजाति प्रतिनिधि)।	सदस्य	01 वर्ष

2– उपरोक्तानुसार गठित राज्य वन्य जीव बोर्ड द्वारा अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 (यथा–संशोधित 2002) (अधिनियम संख्या 53, सन् 1972) की धारा 7 में उल्लिखित प्राविधानानुसार होगी।

3– प्रश्नगत राज्य वन्य जीव बोर्ड के कर्तव्य वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 (यथा–संशोधित 2002) (अधिनियम संख्या 53, सन् 1972) की धारा 8 के अनुसार होगें।

आज्ञा से,

नेहा वर्मा,
अपर सचिव।

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 38 हिन्दी गजट/373–भाग 1–2021 (कम्प्यूटर/रीजियो)।

मुद्रक एवम् प्रकाशक–अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड, रूड़की।

पंजीकरण संख्या–UA/DO/DDN/30/2021-2023

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की, शनिवार, दिनांक 18 सितम्बर, 2021 ई0 (भाद्रपद 27, 1943 शक सम्वत्)

भाग 1–क

नियम, कार्य–विधियां, आज्ञाएं, विज्ञप्तियां इत्यादि जिनको उत्तराखण्ड के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया

HIGH COURT OF UTTARAKHAND, NAINITAL

NOTIFICATION

18th August , 2021

No. 311/XIV-a/34/Admin.A/2012--Ms. Niharika Mittal Gupta, 3rd Additional Chief Judicial Magistrate, Dehradun is hereby sanctioned earned leave for 24 days *w.e.f.* 15.07.2021 to 07.08.2021 with permission to suffix 08.08.2021 as Sunday holiday.

NOTIFICATION

August 18, 2021

No. 312/XIV/a-46/Admin.A/2012--Shri Sanjeev Kumar, 2nd Additional Civil Judge (Sr. Div.), Rudrapur, District Udham Singh Nagar is hereby sanctioned medical leave for 08 days *w.e.f.* 03.08.2021 to 10.08.2021.

NOTIFICATION

August 23, 2021

No. 313 UHC/XIV/a-17/Admin.A/2009--Sri Hemant Singh, Principal Magistrate, Juvenile Justice Board, Udham Singh Nagar is hereby sanctioned earned leave for 21 days *w.e.f.* 10.05.2021 to 30.05.2021 with permission to prefix 08.05.2021 & 09.05.2021 as Second Saturday & Sunday respectively.

NOTIFICATION

August 23, 2021

No. 314/UHC/XIV-26/Admin.A/2008--Sri Manindra Mohan Pandey, Chief Judicial Magistrate, Nainital is hereby sanctioned earned leave for 24 days *w.e.f.* 22.04.2021 to 15.05.2021 with permission to prefix 21.04.2021 as Ram Navami holiday and suffix 16.05.2021 as Sunday holiday.

By Order of Hon'ble the Administrative Judge,
Sd/-
Registrar (Inspection).

NOTIFICATION

August 25, 2021

No. 315/XIV-71/Admin.A/2003--Ms. Neena Aggarwal, Registrar (Inspection), High Court of Uttarakhand, Nainital is hereby sanctioned medical leave for 07 days *w.e.f.* 04.08.2021 to 10.08.2021.

By Order of Hon'ble the Chief Justice,
Sd/-
Registrar General.

NOTIFICATION

August 26, 2021

No. 316/XIV/a-35/Admin.A/2018--Ms. Karishma Dangwal, Civil Judge (Jr. Div.) Almora, is hereby sanctioned medical leave for 31 days *w.e.f.* 23.06.2021 to 23.07.2021.

By Order of Hon'ble the Administrative Judge,
Sd/-
Registrar (Inspection).

CHARGE CERTIFICATE

August 24, 2021

(Handing over)

For medical leave.

No. 4106/XIV-71/Admin.A/2003--CERTIFIED that the charge of the office of Registrar (Inspection), High Court of Uttarakhand, Nainital was handed over by the undersigned in the forenoon of 04.08.2021 for availing medical leave of 07 days *w.e.f.* 04.08.2021 to 10.08.2021, in anticipation of its sanction.

NEENA AGGARWAL,
Registrar (Inspection),
U.H.C. Nainital.

Countersigned,

Illegible,

Registrar General,

High Court of Uttarakhand, Nainital.

CHARGE CERTIFICATE

August 24, 2021

(Taking over)

After availing medical leave.

No. 4107/XIV-71/Admin.A/2003--CERTIFIED that the charge of the office of Registrar (Inspection), High Court of Uttarakhand, Nainital has been taken over by the undersigned in the forenoon of 11.08.2021 after availing medical leave of 07 days *w.e.f.* 04.08.2021 to 10.08.2021.

NEENA AGGARWAL,
Registrar (Inspection),
U.H.C. Nainital.

Countersigned,

Illegible,

Registrar General,

High Court of Uttarakhand, Nainital.

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 38 हिन्दी गजट/373–भाग 1–क–2021 (कम्प्यूटर/रीजियो)।

मुद्रक एवम् प्रकाशक–अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड, रूड़की।

पंजीकरण संख्या–UA/DO/DDN/30/2021-2023

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की, शनिवार, दिनांक 18 सितम्बर, 2021 ई0 (माद्रपद 27, 1943 शक सम्वत्)

भाग 8

सूचना एवं अन्य वैयक्तिक विज्ञापन आदि

सूचना

मेरे स्थाई निवास प्रमाण–पत्र में त्रुटिवश मेरा नाम कपिल बडोनी पुत्र श्री भगवती प्रसाद दर्ज हो गया है। जबकि मेरा सही नाम कपिल देव पुत्र श्री बी0पी0 बडोनी है भविष्य में मुझे सही एवं वास्तविक नाम कपिल देव पुत्र श्री बी0पी0 बडोनी निवासी ए/30 सेक्टर–2 डिफेन्स कालोनी देहरादून उत्तराखण्ड से जाना एवं पढ़ा जाय।

समस्त विधिक औपचारिकताऐं मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं।

कपिल देव पुत्र श्री बी0पी0 बडोनी
निवासी ए/30 सेक्टर–2 डिफेन्स कालोनी
देहरादून उत्तराखण्ड

कार्यालय नगर पालिका परिषद्, रूद्रप्रयाग

09 जुलाई, 2021 ई0

पत्रांक 272/उपविधि/2021–नगर पालिका परिषद्, रूद्रप्रयाग सीमान्तर्गत उ0प्र0 **नगर पालिका अधिनियम–1916 की धारा–298 (उत्तराखण्ड में यथा प्रवृत्त) की उपधारा–2 खण्ड–(ज) (च)** के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए नगर पालिका परिषद्, रूद्रप्रयाग द्वारा नगर पालिका अधिनियम–1916 की धारा–128 की उपधारा–1 (पप) (पपप) अन्तर्गत शक्तियों का प्रयोग करते हुये **"फेकल सलज एवं सेप्टेज प्रबंधकीय उपनियम–2020"** बनायी जाती हैं, जो नगर पालिका अधिनियम–1916 की धारा–301(1) के अन्तर्गत जनसामान्य एवं जिन पर इस उपविधि का प्रभाव पड़ने वाला हो, हेतु निम्न प्रकार नियमावली का गठन करते हैः–

अध्याय–1

सामान्य

1: संक्षिप्त नाम और लागू होने की तारीख :

(1) ये उप–नियम **नगर पालिका परिषद, रूद्रप्रयाग फेकल सलज एवं सेप्टेज प्रबंधकीय उपनियम– 2021 कहलाऐगा।**
(2) ये उप–नियम नगर पालिका परिषद, रूद्रप्रयाग के सरकारी गजट उत्तराखण्ड में प्रकाशित होने की तारीख से प्रभावी होंगे।

2. ये उप–नियम नगर पालिका परिषद, रूद्रप्रयाग की सीमाओं के भीतर लागू होंगे।

1. प्रसंगः

यह महत्वपूर्ण है कि एक उचित वैज्ञानिक प्रबंध इन मामलों में/सेप्टेज का अनुपालन किया जाये ताकि सेप्टेज/फेकल सलज सेप्टिक टैंक, गड्ढे, शौचालय, से पर्यावरण,ा नदी एवं अन्य पानी के स्रोत प्रदूषित न हो सके ।

1.1 राष्ट्रीय फेकल सलज एवं सेप्टेज प्रबंधकीय नीतिः

ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार "राष्ट्रीय फेकल सलज एवं सेप्टेज प्रबंध नीति" वर्ष 2017 संशोधित की है जिसमे शहर पूर्ण रूप से स्वच्छ, तंदुरूस्त और जीवित बने रहे और अच्छी सफाई भी बनी रहें। शहरी नीति का मुख्य उद्देश्य एक प्रसन्न, प्राथमिकता और दिशा निर्धारित करनी है, ताकि राष्ट्रव्यापी अनुपालन इन सेवाओं का समस्त क्षेत्र सुरक्षित और स्थायी सफाई व्यवस्था हो सके ।

1.2 उत्तराखंड में सेप्टेज प्रबंध प्रोटोकोलः

नगर नगर पालिका परिषद, रूद्रप्रयाग मे "उचित प्रबंध योजना या प्रोटोकोल सीवरेज की निकासी जो कि सामान्य सेप्टिक टैंक में या बायो डाइजेस्टर में एकत्रित की जाती है, नियमित रूप से खाली की जाये और उसका उचित प्रबंध किया जाये और उसके परिणामस्वरूप खाद जो इस प्रकार से एकत्रित हुई है वह निःशुल्क किसानों में वितरित की जायेगी। जल आपूर्ति एवं सीवरेज अधिनियम 1975/नगरपालिका अधिनियम 1916 शहरी विकास निदेशालय जो कि उत्तराखंड जल संस्थान के समन्वय से होगा, इसके लिये **प्रोटोकोल सेप्टेज प्रबंधन** तैयार किया है जो कि सचिव शहरी विकास विभाग उत्तराखंड सरकार द्वारा सूचित किया गया है, ताकि इसका अनुपालन शहरों/नगरों में हो सके–आदेश सं0 597/ 4(2)–यू0डी0–2017–50/16, दि0 22 05. 2017 इस नियमावली का सेप्टेज प्रबंधन प्रोटोकोल रूद्रप्रयाग शहर को दिग्दर्शन कराना

है, ताकि वैज्ञानिक सेप्टेज प्रबंधन बना रहे, जो कि एकत्रीकरण, परिवहन, इलाज, सेप्टेज/फेकल सलज का निस्तारण और पुनः प्रयोग हो सके। इस प्रोटोकोल के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए और आंतरिक विभागीय समन्वय हेतु एक सेप्टेज मैनेजमेंट सेल का आयोजन किया गया है, जिसके अंतर्गत यू0एल0बी0, जल निगम, जल संस्थान, होंगे।

2. नगरीय उपकानून/फेकल सलज एवं सेप्टेज प्रबंध का नियमितिकरणः

सेप्टेज प्रबंध प्रोटोकोल के अनुसार जो कि शहरी विकास विभाग उत्तराखंड सरकार के पत्र सं0 516/36/SBM/2016-17 दिनांक 25 जुलाई, 2018 एवं समस्त लागू होने योग्य नियम कानून या नियमावली नगर पालिका परिषद, रूद्रप्रयाग के नियमित ढांचा रिक्त करने, एकत्र करने परिवहन और सेप्टेज/फेकल सलज के परिवहन एवं निस्तारण हेतु जैसा कि संदर्भित है। फेकल सलज एवं सेप्टेज प्रबंध उपनियम के अंतर्गत, जो कि यहां स्वीकृत किया जाता है और इसके अनुपालन हेतु नगर पालिका परिषद, रूद्रप्रयाग के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत सूचित किया जाता है।

3. उद्धेश्य एवं कार्यक्षेत्रः

नियमावली के उद्धेश्य एवं कार्यक्षेत्र निम्नवत हैः

1. निर्माण, सेप्टिक टैंक के दैनिक रखरखाव और शौचालय के गढ्ढे, परिवहन, इलाज और सुरक्षित रखरखाव, जो कि सलज और सेप्टेज से सम्बन्धित है।
2. क्षेत्र के मालिक द्वारा जो कार्य किया जाना है, उसको निर्देशित करना जो कि सेप्टिक टैंक और शौचालय के गड्ढे से और फेकल सलज एवं सेप्टेज परिवहन से सम्बन्धित है, ताकि वे इन निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित कर सके।
3. उचित निरीक्षण प्रदान करना और मशीनरी का अनुपालन।
4. लागत वसूली सुनिश्चित करना जो कि सलज के और सेप्टेज प्रबंध के उचित प्रबंध हेतु है।
5. निजी और गैर सरकारी क्षेत्र फेकल सलज एवं सेप्टेज प्रबंध में सहभागी की सुविधा देना।

4– एकत्रीकरण, परिवहन, इलाज और सेप्टेज के खुर्द–बुर्द हेतु एक प्रक्रिया अपनानाः

4.1 सेप्टिक टैंक और सेप्टेज/फेकल सलज एकत्रीकरण को रिक्त करनाः

1. सेपिटक टैंक की तली में जो जमा हो गया है, उसको कटाना और एक बार उसको ठीक करना, जो कि गहराई में पंहुच गया है या बारंबार के आखिर में जो डिजाइन है, जो कोई भी पहले आवे। जबकि सलज को सुखाना और सेप्टिक टैंक में जो द्रव्य है, उसको भी सुखाना। मैकेनिकल वेक्यूम टैंकर का भी उपयोग नगरीय अधिकारियों द्वारा सेप्टिक टैंक को खाली करने हेतु उपयोग किया जाना चाहिए। सुरक्षा प्रक्रिया जैसा कि सेप्टेज प्रबंध प्रोटोकोल में वर्णित है, को सेप्टिक टैंक के खाली करते समय और सेप्टेज के परिवहन के समय इस नियम का सख्ती से पालन किया जाना चाहिए।

4.2 सेप्टेज/फेकल सलज का परिवहनः

1. फेकल सलज और सेप्टेज ट्रांसपोर्टर वाहन के सुरक्षित परिवहन हेतु उत्तरदायी होंगे। जैसा कि समय–समय पर एस0एम0सी0 द्वारा स्वीकृत किये जायेगें।
2. फेकल सलज और सेप्टेज परिवहन निर्माता यह आश्वासन देंगे कि:

अ. पंजीकृत संग्रह वाहन जिसके अंतर्गत समस्त उपकरण जो कि फेकल सलज और सेप्टेज हेतु इस्तेमाल किये जायेगें छिद्र निरोधी होगा और सुरक्षा हेतु ताला बंद रहेगा और मानदंड का अनुपालन करेंगे।

ब. कोई भी टैंक और उपकरण जो फेकल सलज और सेप्टेंज हेतु उपयोग में लाया जायेगा वह किसी अन्य वस्तु या द्रव्य को परिवहन हेतु इस्तेमाल नहीं किया जायेगा।

4.3 सेप्टेज का निष्पादन और इलाजः

राज्य सेप्टेज मैनेजमेंट प्रोटोकोल के अनुसार प्रत्येक पालिका रूद्रप्रयाग की अपनी एक इकाई होगी। परन्तु इस निकाय मे ईकाई न होने के कारण सैप्टेज को निकाय से 35 किमी दूर अंतर्गत स्थित उत्तराखन्ड जल संस्थान के एस0टी0पी0 में परिवहन किया जायेगा । भविष्य हेतू एक अलग सेप्टेज ट्रीटमेंट प्लान का निर्माण हेतू भी कार्य योजना तैयार कराने के प्रयास किये जायेगे।

5–सुरक्षा उपायः

1. उचित तकनीकी सयंत्र, सुरक्षा, उपकरण का प्रयोग करते हुए मल निस्तारण किया जायेगा। फेकल सलज और सेप्टेज ट्रांसपोर्टर यह आशान्वित करेगे समस्त मल निस्तारण कर्मचारी उचित व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण जिसके अंतर्गत कंधे की लंबाई तक पूरा नियोप्रीन गलब्स, रबड़ बूट, चेहरे का मास्क और आंखों की सुरक्षा आदि समस्त उपकरण एकत्रीकरण क्षेत्र से पहले अपना लिया जायेगा। इसके लिये जागरूकता भी की जायेगी । इसके अलावा प्रथम सहायता किट, गैस का पता करने वाला लैंप और अग्निशामक यंत्र, मल निस्तारण गाड़ी में रखे जायेगे। जब सेप्टिक टैंक और पिट लैट्रिन में काम चल रहा हो, धूम्रपान वर्जित रहेगा ।
2. मल निस्तारण कार्यकर्ता सेप्टिक टैंक में और शौचालय गडढे में प्रवेश नहीं करेंगे और आच्छादित टैंक को हवा के लिए आना–जाना रखेंगे, जो कि इस कार्य का शुरू करने से पहले किया जाना आवश्यक होगा। बच्चों को टैंक के ढक्कन से दूर रखा जायेगा, एवम टैंक के स्क्रू और ताले से सुरक्षित रखा जाये । कर्मचारी सावधान रहेंगे कि मल निस्तारण प्रक्रिया के समय ढक्कन पर अत्यधिक भार न हो ताकि मेन हॉल का ढक्कन टूटने से बचा रहे।

6. सेप्टेज खाली करना और वाहन के पंजीकरण का परिवहनः

6.1 यू0एल0बी0 दर्ज करेगा और लाईसेंस निर्गत करेगा निजी व्यवसायों के लिए जिनके पास मशीनीकरण खाली करना और परिवहन गाड़ी उपलब्ध हो। इस प्रकार का लाईसेंस निर्गत करने से पहले यह आशान्वित करेगा कि यह ट्रक उचित उपकरण और उचित सुरक्षा माप से सुसज्जित है। सेप्टेज ट्रांसपोर्टर और उसका पंजीकरण हेतु प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत करेगा, जो कि गाड़ियों के परिवहन हेतु होगा। ये निजी व्यक्ति को भी अपने इस कार्य में उत्साहित करेगे। पंजीकरण प्रपत्र और परमिट परिशिष्ट–ए, 2 में संलग्न है।

6:2 कोई भी व्यक्ति या वाहन पंजीकृत सेप्टेज ट्रांसपोर्टर द्वारा प्रयोग किया जायेगा, जो कि एकत्रीकरण परिवहन और सेप्टेज के प्रयोजन के लिए है। जब तक इसका पंजीकरण सेप्टेज ट्रांसपोट्रेशन व्हीकल एस0एम0सी0 के साथ इन प्रोटोकोलों में जब तक पंजीकृत नहीं है।

सारणी 1 पंजीकरण व्यय

अ. प्रारंभिक पंजीकरण	:	रू0 2000.00 प्रति गाड़ी
ब. नवीनीकरण	:	रू0 1500.00 प्रति गाड़ी

7. उपभोक्ता लागत और इसका संचय:

7.1 इस क्षेत्र के समस्त मालिक जो सेप्टिक टैंक और शौचालय के गड्ढे जिसका भुगतान उपभोक्ता करेगा जैसा कि यू0एल0बी0 में फेकल स्लज और सेप्टेज उपनियम में समय–समय पर दर्शाया गया है जो कि सेप्टिक टैंक के भरने, शौचालय के गड्ढे, परिवहन और फेकल सलज एवं सेप्टेज के उपाय हेतु है।

7.2 इस क्षेत्र के समस्त मालिक जिनके अपने क्षेत्र में निरर्थक पानी के निष्कासन की प्रणाली उपलब्ध है, जो कि यू0एल0बी0 कार्य एवं शिकायत हेतु प्रमाणित है और वे भी जो कि सीवर नेटवर्क से सम्बन्धित है, उनको उपभोक्ता के भुगतान से विमुक्त किया जाता है।

7.3 यू0एल0बी0 अपनी लागत संशोधित करेगा, जो कि समय–समय पर इससें सम्बन्धित है। ऐसी उपभोक्ता लागत जिसके अंतर्गत मल निस्तारण लागत परिवहन एवं फेकल सलज और सेप्टेज के निष्कासन हेतु।

7.4 उपभोक्ता लागत क्षेत्र विशेष के स्वामी से एकत्र किये जाये जो निम्नवत है।

अ. उपभोक्ता लागत प्रत्यक्ष रूप से सम्बन्धित भवन/सेप्टिक टैंक मालिक से यू0एल0बी0 द्वारा वसूल कर यू0एल0बी0 मे जमा किया जायेगा

ब. यू0एल0बी0 किसी भी व्यक्ति को अधिकृत कर सकता है जिसके अंतर्गत फेकल सलज और सेप्टेज परिवहन जो कि उपभोक्ता लागत से एकत्र की जायेगी। जो कि उस क्षेत्र विशेष का स्वामी है और सेप्टिक टैंक और शौचालय के गड्ढे से सम्बन्धित है।

सारणी 2: उपभोक्ता लागत:–

पालिका क्षेत्र मे सेप्टिक टैंक एवं हर एक मकान के शौचालय गड्ढे या किसी भी शिकायत के इस आय की शिकायत प्राप्त होने पर कि सैप्टिक टैक ओवर–प्लो तो नही हो रहा है तुरन्त पालिका से सुपरवाईजर को भेज कर जॉच करवायेगे। इसके अलावा पालिका मे सेप्टिक टैंक को खाली कराने के आवेदन के आने पर पालिका द्वारा जॉच करायी जायेगी कि सेप्टिक टैंक कितना क्षेत्रफल का है और उसके खाली कराने मे कितने सीवर टेकर के चक्कर लगेगे। तसदीक हाने पर निम्न प्रकार शुल्क वसूला जायेगा ।

1:–	पालिका के सीवर टैकर की क्षमता	5000 लीटर
2:–	पालिका सीमा के भीतर	रू0 8000/– प्रति फेरा, तथा रू0 1000/– STP शुल्क, कुल रू0 9000/– भवन स्वामी पालिका मे शुल्क जमा करेगा।

		सैप्टिक टैंक मे ज्यादा फिकल होने पर दुसरे फेर की स्थिति होने के कारण सम्बधित कर्मी के द्वारा सक्षम अधिकारी के अनुमोदन पश्चात दूसरे फेरे मे 2000/–रू0 की छूट प्रदान की जायेगी।
3:–	पालिका सीमा के बाहर	रू0 15000/– प्रति फेरा,तथा रू0 1000/– STP शुल्क, एवं रू0 500/ प्रति किमी, भवन स्वामी पालिका मे शुल्क जमा करेगा । सैप्टिक टैंक मे ज्यादा फिकल होने पर दूसरे फेर की स्थिति होने के कारण सम्बधित कर्मी के द्वारा सक्षम अधिकारी के अनुमोदन पश्चात दूसरे फेरे मे 2000/–रू0 की छूट प्रदान की जायेगी।

4:– पालिका द्वारा यह भी देखा जायेगा कि यदि कोई सैप्टिक टैंक ज्यादा ही छोटा है तो निरीक्षण पश्चात तथा यह समाधान हो जाने पर कि सम्बधित सैप्टिक टैंक मे 5000 ली0 का सीवर टैंक पूर्ण नही भर पायेगा, उपरोक्त निर्धारित दरो मे आवश्यक छूट देकर शुल्क प्राप्त कर सकते है।

8. मैकेनिजम का निरीक्षण, क्रियान्वयन और मजबूती देना:

8.1 कोई भी व्यक्ति जो कि एस0एम0सी0/नगरीय स्थानीय संस्था द्वारा अधिकृत है, उसको पूर्ण अधिकार होगा कि वह सेप्टिक टैंक एवं हर एक मकान के शौचालय गड्ढे या सामुदायिक/संस्थागत आदि का निरीक्षण करना।

8.2 मल निस्तारण का अनुपालन न करना जैसा कि उपरोक्त वर्णित है, जुर्माना अलग से लगायां जायेगा और इससे प्राप्त धनराशि नगर नगर पालिका परिषद, रूद्रप्रयाग में जमा की जायेगी ।

8.3 यू0एल0बी0 और परिचारक सेप्टिक टैंक के खाली होने का अभिलेख रखेगें।

8.4 अवचेतना कार्यक्रम समय–समय पर चलायी जायेगा, जो कि प्रत्येक व्यक्ति, सरकार या निजी व्यवसायी के सेप्टिक टैंक, बायोडाइजेस्टर, मल निस्तारण सेप्टिक टैंक का, एकत्रीकरण, मशीनरी, परिवहन, निष्पादन और सेप्टेज का इलाज हेतू प्रशिक्षण होगा ।

9. दंड:

दंड का ढांचा उपकरण से रहित/अकार्यशील जी0पी0एस0 प्रणाली निर्धन वर्ग की शिकायतें, फेकल सलज का एकत्र न करना और सेप्टेज ट्रीटमेन्ट प्लांट /आर.एन.एन. का रजिस्ट्रीकरण न करना। सुरक्षित उपाय मल निस्तारण गाड़ियों का अनुपालन न करना।

सारणी 3: दंड

क्र. सं.	शिकायत का प्रकार	दंड या कार्यवाही प्रथम दृष्टया पकड़ी गयी वर्ष में एक बार मल निस्तारण वाहन	दंड या कार्यवाही वर्ष में दुबारा पकड़ी गयी मल निस्तारण वाहन से सम्बन्धित	दंड या कार्यवाही वर्ष में तीसरे समय पकड़ी गयी विशेष रूप से मल निस्तारण वाहन
1	लोगो की सेवा की शिकायत	2500	5000	3 महीने के लिए परमिट सेवा की शिकायत परमिट का निरस्तीकरण
2	सेप्टेज /फेकल सलज जैसा कि विशेष कार्यक्षेत्र में खाली न करने पर	1000	6 माह के लिये परमिट को स्थगित करना	
3	पंजीकरण न करना /पंजीकरण का नवीनीकरण न करना	1000	20000	आर0टी0ओ0 को संस्तुति वाहन के पंजीकरण को निरस्त करने हेतु 3 महीने के लिए परिमट को स्थगित करना/ परमिट का निरस्तीकरण लिए स्थगित करना
4	विशेष सुरक्षा उपायो का पालन न करना एवम जी0पी0 एस0 का न लगाया जाना	5000	10000	

सीमा रावत,
अधिशासी अधिकारी।

गीता झिंक्वाण,
अध्यक्ष।

कार्यालय नगर पंचायत गैरसैंण जिला (चमोली)

सार्वजनिक सूचना

29 मार्च, 2019 ई0

पत्रांक 637/हो0/उप0/न0पं0गै0/2019–20–नगर पंचायत गैरसैंण जिला चमोली सीमान्तर्गत उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1916 की धारा 298 की उपधारा–2 खण्ड– (ज)का (च) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए नगर पंचायत/पालिका अधिनियम 1916 की धारा–128 के तहत विज्ञापन पटटो को नियन्त्रित करने एवं विज्ञापन शुल्क वसूली के उद्देश्य से **"विज्ञापन नियन्त्रण एवं शुल्क वसूली उपविधि–2018** नगर पंचायत गैरसैंण द्वारा बनायी जाती हैं, जो नगर पालिका अधिनियम 1916 की धारा 301(1) के अन्तर्गत जनसामान्य एवं जिस पर उपविधि का प्रभाव पडने वाला हो, उससे आपत्ति एवं सुझाव हेतु प्रकाशित की जा रही है :–

अतः समाचार पत्र में उपविधि के प्रकाशन की तिथि से **30** दिन के अन्तर्गत लिखित सुझाव एवं आपत्तियॉ अधिशासी अधिकारी, नगर पंचायत गैरसैंण चमोली को प्रेषित की जा सकती है निर्धारित समय के बाद की आपत्तियों पर विचार किया जाना सम्भव नहीं होगा।

विज्ञापन निन्यत्रण एवं शुल्क उपविधि 2018।

1–संक्षिप्त नाम व प्रसार एंव प्रारम्भः–

क–यह उपविधि नगर पंचायत गैरसैंण चमोली विज्ञापन नियन्त्रण एंव शुल्क वसूली उंपविधि **2018** कहलायेगी।

ख–यह उपविधि नगर पंचायत गैरसैंण चमोली की सीमा में प्रवृत्त होगी।

ग–यह उपविधि नगर पंचायत गैरसैंण चमोली द्वारा प्रख्यापित अथवा शासकीय गजट में प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होगी।

2–परिभाषाऐं–

किसी विषय या प्रसंग से कोई वाद् प्रतिकूल न होने पर इस उपविधि में–

क–नगर पंचायत का तापर्त्य नगर पंचायत गैरसैंण चमोली से है।

ख–सीमा का तात्पर्य नगर पंचायत गैरसैंण चमोली की सीमाओं से है।

ग–अधिशासी का तात्पर्य अधिशासी अधिकारी नगर पंचायत गैरसैंण चमोली से है।

घ–अध्यक्ष/प्रशासक का तात्पर्य नगर पंचायत गैरसैंण के अध्यक्ष /प्रशासक से है।

ड–बोर्ड का तात्पर्य नगर पंचायत गैरसैंण के निर्वाचित अध्यक्ष/सदस्यों अथवा प्रशासक से है।

च–अधिनियम का तात्पर्य उ0प्र0नगर पालिका अधिनियम–1916(उत्तराखण्ड में यथा प्रवृत्त) संशोधन एंव उपान्तण आदेश 2002 से है।

छः–विज्ञापन का तात्पर्य नगर पंचायत गैरसैंण चमोली की सीमान्तर्गत प्रदर्शित किये जाने वाले विज्ञापन पटट,होर्डिग,यूनिपोल,बोर्ड एवं अन्य प्रचार सामग्री से है।

3–विज्ञापन पटट (होर्डिग/यूनीपोल)स्थल के अनुसार सडको के समान्तर लगाये जायेगें,छोटे यूनीपोल पेन्टेड सर्फेस से 2.5 मीटर की दूरी पर 5X3 फिट एंव सडक से 15 फिट ऊचाई पर होगें। मुख्य राष्ट्रीय राजमार्ग एंव प्रान्तीय मार्ग पर यूनीपोल के बीच कम से कम 50 मीटर की दूरी होगी।

4–यूनीपरेल /होर्डिग से सामानान्तर लगाये जायेगें,जिससे यातायात सुंगमता से संचालित हो सके,एवं होर्डिग के कारण सडक दुर्घटना न होने के उद्देश्य से जहॉ आवश्यक्ता होगी,वहॉ से इन यूनीपोल/हार्डिग को 25 डिग्री के कोण से कम भी किया जा सकता है और आवश्यक्ता पडने पर सडक के सामानान्तर लगाने के निर्देश भी दिये जा सकते है।

5–होर्डिग /यूनीपोल का अधिकतम साईज 20 X10 फिट होगा।

6–होर्डिग 2 लोहे/पाईप के स्तम्भ एंव यूनीपोल लोहे /पाईप के स्तम्भ की संरचना मजबूत व फ्रेम आकार की होनी चाहियें जिससे आंधी,तूफान आदि से न गिर पायें। अतः इनकी संरचना के सम्बध में स्ट्रक्चर,इंन्जीनीयर की रिपोर्ट आवेदन पत्र के साथ प्रस्तुत करनी होगी।

7–मुख्य चौराहों व मोडों पर 25–25 मीटर की दुरी तक होर्डिग यूनीपोल नहीं लगाये जायेगें।
8– प्रत्येक होर्डिग के सम्बन्ध में सडक वार एक यूनिक कोड नम्बर तय किया जायेगा,जिसके विवरण उस होर्डिग का आकार प्रकार होर्डिग विज्ञापन एजेंन्सी का नाम लगाने का स्थान,स्वीकृति तिथि रसीद नम्बर व उस होर्डिग का सडक से एंकल भी वर्णित किया जायेगा।
9–नगर पंचायत सीमा में विज्ञापन पटट लगाये जाने हेतु विज्ञापन ऐजेन्सियों द्वारा प्रत्येक वर्ष विज्ञापन पटट लगाने से पूर्व नगर पंचायत कार्यालय में पंजीकरण कराया जायेगा,इस प्रकार केवल पंजीकृत पटट लगाने से पूर्व नगर पंचायत गैरसैंण कार्यालय में पंजीकरण कराया जायेगा,इस प्रकार केवल पंजीकृत ऐजेन्सियों को ही विज्ञापन पटट लगाये जाने की अनुमति दी जायेगी। पंजीकरण नियमानुसार कार्यालय द्वारा किया जायेगा।
10– निकाय की सीमाओं के भीतर किसी भूमि या भवन का स्वामी या अन्यथा अभियोग करने वाला कोई व्यक्ति निकाय की लिखित पूर्व अनुज्ञा के बिना ऐसी भूमि या भवन के किसी भाग पर कोई विज्ञापन न तो परिनिर्मित करेगा न प्रदर्शित करेगा न सम्प्रदर्शित करेगा न लगायेगा न चिपकायेगा न लिखेगा न चित्रित करेगा न लटकायेगा और न ही किसी अन्य व्यक्ति को ऐसे भवन या भूमि पर कोई विज्ञापन परिनिर्मित करने देगा न प्रदर्शित न सम्प्रदर्शित न लगाने चिपकाने लिखने चित्रित करने या न लटकाने देगा यदि ऐसा विज्ञापन किसी सार्वजनिक स्थान या सार्वजनिक मार्ग से दृश्य हो।
11– विशेष परिस्थितियों में अधिशासी अधिकारी नगर पंचायत गैरसैण जिला चमोली का कतिपय मामालो में नगर पंचायत के अन्तर्गत विज्ञापन निशुल्क प्रदर्शित कराये जाने का अधिकार होगा।
12– नगर पंचायत की बिना अनुमति की कोई भी विज्ञापन /होर्डिग्स नही लगाया जायेगा।
13– यदि कोई विज्ञापन या विज्ञापन पटट इस नियमावली के उल्लंघन में परिनिर्मित किया जाता है प्रदर्शित किया जाता है संप्रदर्शित किया जाता है लगाया जाता है चिपकाया जाता है, लिखा जाता है, चित्रित किया जात है, या लटकाया जाता है, या लोक सुरक्षा के लिए परिसंकटमय या खतरनाक हो या वह सुरक्षित यातायात संचालन हेतु अशांति का कारण हो तो समिति विज्ञापनकर्ता को किसी नोटिस के बिना उसे हटवा सकती है या मिटवा सकती है जिसे हटाने जाने या मिटाये जाने का व्यय विज्ञापनकर्ता से वसूला जायेगा।

14– नगर पंचायत गैरसैण जनपद चमोली के बोर्ड के पास उपरोक्त उपविधियों के अन्तर्गत प्रत्यक्ष परिस्थितियों के आधार पर शर्तो एवं नियमो के अनुसार ठेका निर्धारित करने का अधिकार सुरक्षित होगा।

15–नगर पंचायत सीमा में लगाये जाने वाले विज्ञापन पटटों एंव अन्य प्रचार सामग्री आदि व न्यूनतम निर्धरित शुल्क में प्रति वर्ष 10 प्रतिशत की वृद्वि कि जायेगी। विज्ञापन शुल्क हेतु निर्धारित दर निम्नवत् होगी अथवा निर्धरित दरों के आधार पर विज्ञापन का ठेका सार्वजनिक निलामी द्वारा भी दिया जा सकता है।

। विज्ञापन शुल्क की दरें।

क्र0सं0	विवरण	दर (रू0 में)	यूनिट
1	एन0एच0/प्रान्तीय मार्गों के किनारे स्थित विज्ञापन /होर्डिग्स (जो स्ट्रक्चर खडा कर लगाये गये हो	रू0 50.00	प्रति वर्ग फिट /प्रति वर्ष
2	नगर पंचायत के मुख्य मार्ग एंव आन्तरिक मौहल्लों के सार्वजनिक स्थलों पर लगाने वाले विज्ञापन ,होडिग्स आदि (जो स्ट्रक्चर खडा कर लगाये गये हों)	रू0 30.00	प्रति वर्ग फिट /प्रति वर्ष

3	इन्डीकेटर बोर्ड (आई0एच0पी0) (3 X2 फिट)पोल क्योक्स 2 (3 X2 फिट)	रू0 400.00	प्रति पोल /प्रति वर्ष
4	निजि भवनो पर लगे ग्लोसाइन बोर्ड	रू0 40.00	प्रति वर्ग फिट /प्रति माह
5	निजि भवनो पर लगे विज्ञापन /होर्डिंग्स	रू0 20.00	प्रति वर्ग फिट /प्रति माह
6	पुल /पुल के कॉलम पर (10 X 20 फिट)	रू0 50.00	प्रति वर्ग फिट /प्रति माह
7	प्रोटेक्शन स्क्रीम/नाला कल्वर्ट (8 X 15 फिट)	रू0 50.00	प्रति वर्ग फिट /प्रति माह
8	निजि बस /पब्लिक बस ऐडवरटाईजिगं (8 X 15 फिट) (दानों साईड)बेक साईड (3 X 3) फिट	रू0 20.00	प्रति वर्ग फिट /प्रति माह
10	डिलवरी वाहन /सर्विस वाहन /टैक्सी	रू0 50.00	प्रति वर्ग फिट /प्रति वर्ष
11	डिमोस्टेशन वाहन	रू0 200.00	प्रति दिन
12	बिल्डिंग रैंप (80 X20) फिट	रू0 50.00	प्रति वर्ग फिट /प्रति वर्ष
13	पार्किंग (दो डिसप्ले बोर्ड (3 X 5) फिट	रू0 50.00	प्रति -वर्ग फिट /प्रति वर्ष
14	ट्री –गार्ड 1.5 X1.5 फिट	रू0 15.00	प्रति वर्ग फिट /प्रति वर्ष
17	सार्वजनिक शौचालय दो साईड वाल (8 X10) फिट	रू0 100.00	प्रति वर्ग फिट /प्रति वर्ष
18	रोड डिवाईडर /सडक के किनारे यूनिपोल (20 X10) फिट लगाये जाने पर	रू0 150.00	प्रति वर्ग फिट /प्रति वर्ष
19	गैन्ट्री (स्वागत द्वार)रोड की सम्पूर्ण छोडने के पश्चात् लगाये जाने पर	रू0 150.00	प्रति वर्ग फिट /प्रति वर्ष
20	लाउडस्पीकर द्वारा प्रचार अतिरिक्त दिन के लिऐ	रू0 200.00	प्रतिदिन
21	इवैन्ट एण्ड ऐक्जीवीशन /मेला 1 दिन का अतिरिक्त दिन के लिऐ	रू0 500..00	प्रतिदिन
22	बस शैल्टर 26 X5 फिट	रू0 30.00	प्रति वर्ग फिट /प्रति वर्ष
23	बिजली /टेलिफोन के खम्बो पर 3X2 फिट	रू0 100.00	प्रति वर्ग फिट /प्रति वर्ष
24	बैलून (गुबारा) पर विज्ञापन	रू0 100.00	प्रति बैलुन /प्रति वर्ष

16–निम्नलिखित क्षेत्रों में विज्ञापन पटट प्रतिबन्धित रहेगा–

1–धार्मिक स्थल।

2–नगर पंचायत के आस पास।

3–सरकारी सम्पत्ति

17–नगर पंचायत सीमान्तगत सम्प्रदर्शित किये जाने वाले ग्लोसाइन/साइन बोर्ड जो दुकानो के नाम के साथ या स्वतन्त्र रूप सें किसी वस्तु के विषय,गुण आदि के बारे में उल्लेख हो,जनसाधारण विज्ञापन की भॉति आकर्षित करता हो, के विज्ञापन कर्ता से विज्ञापन शुल्क की वसूली कि जायेगी,कार्य निविदा के माध्यम से ठेके पर किया जायेगा।

18–विज्ञापन शुल्क का भुगतान प्रत्येक वित्तीय वर्ष में 30 अप्रैल तक पूर्णतः अग्रिम (100 प्रतिशत)जमा किया जायेगा।एक माह तक शुल्क जमा न होने पर सम्बन्धित विज्ञापन ऐजेन्सी का पंजीकरण करते हुए ब्लैक लिस्ट कर दिया जायेगा,तथा बकाय विज्ञापन शुल्क की वसूली भू–राजस्व की भॉति वसूल कि जायेगी।

19–इन्डिकैटर बोर्ड या अन्य बोड जहॉ दोनों ओर विज्ञापन लिखे होगें वहॉ निर्धारित शुल्क दोगूनी वसूल कि जायेगी इन्डिकैटर बोर्ड का साईज 5 X3 फिट का होगा।

10–विज्ञापन शुल्क बैक ड्राफ्ट या बैंकर्स चैक या नकद के रूप में ही जमा किया जायेगा।

21–प्रत्येक तिराहों एंव चौराहें में जहॉ कि समस –समय पर विज्ञापन पटट एकदम रास्ते के किनारे से एक दूसरे के अगल–बगल से आने वाले वाहनों को एक दुसरे को देखने में कठिनाई होती है तथा यातायात में बाधा उत्पन्न होती है, या दुर्घटना होने की सम्भावना हो इन चौराहों एंव तिराहों में केन्द्र से चारों ओर पथों पर 25 मीटर तक विज्ञापन पटट लगाने में प्रतिबन्ध रहेगा।

22–पोल कियोस्क का साईज 2 X3 फिट होगा।

23–सरकार द्वारा समय–समय पर प्रतिबन्धित उत्पादों जैसे–शराब,तम्बाकु,धूम्रपान एंव अश्लील जाति सूचक, धार्मिक भावनाओं को उत्तेजित करने वाले ,पशु क्रूरता, हिशात्मक,विध्वसंक उत्पादक हथियारों से सम्बन्धित उत्पाद सम्बन्धी विज्ञापनो का प्रदर्शन पूर्णतःप्रतिबन्धित रहेगा।

24–किसी विज्ञापन ऐजेन्सी द्वारा यदि स्वीकृत पटट के अन्तर कोई विज्ञापन प्रदर्शित किया हुआ पाया गया,तो बिना किसी नोटिस के विज्ञापन ऐजेन्सी का पंजीकरण निरस्त कर दिया जायेगा।

25–जनहित अथवा यातायात की दृष्टि से एंव राज्य सरकार के निर्देशानुसार यदि किसी स्वीकृत विज्ञापन पटट को हटाने कि आवश्यवता होती है तो बिना किसी नोटिस के विज्ञापन पटट हटा दिया जायेगा जिस पर कोई प्रतिकर दिय नहीं होगा।

26–साईन बोर्ड (आई0आर0सी0) 67 –2001 में निर्धारित कलरों /मानकों का प्रयोग ही विज्ञापन पटटों के लिये अनुमन्य होगा। विज्ञापन पटटों में प्रयोग किये जाने वाले रंग एंव फोन्ट साईज आफिशियल ट्रैफिक साईन के सामान एंव वाहन चालक को भ्रमित करने वाले नहीं होगें।

27–विज्ञापन पटट/यूनिपोल का आवंटन विज्ञापन शुल्क कम निर्धारित न्यूनतम धनराशि पर सीलबन्द निविदायें आमन्त्रित कर सर्वोच्च बोली दाता को किया जायेगा।

28–रोड पटरी ,निजि भवनों एंव भूमियों पर किसी भी प्रकार के विज्ञापन अवैध रूप से लगाये जाने पर विज्ञापन ऐजेन्सी,ठेकेदार एंव भवन स्वामी से रूपये रू0 5000.00 (पाँच हजार) तक जुर्माना वसूल कर दिया जायेगा एंव अवैध विज्ञापन पटट को तक्काल हटाते हुय विज्ञापन एसेन्सी का पंजीकरण एंव ठेका निरस्त कर दिया जायेगा,इस पर होने वाले व्यय की वसूली विज्ञापन ऐजेन्सी एंव ठेकेदार से की जायेगी।

29–जनहित में नगर पंचायत में पंजीकृत विज्ञापन ऐजेनसियों को जो भी विज्ञापन पटट स्वीकृत किये जायेगें,उनपर सुन्दर ,स्वच्छ,गैरसैंण का स्लोगन प्रदर्शित किये जायेगें,,तथा यातायात कि दृष्टि से पुलिस विभागा द्वारा लगाये जाने वाले विज्ञापन के लिये होर्डिग्स /यूनीपोल में उनकी आवश्यकता अनुसार निःशुल्क स्थान दिया जायेगा।

30–उपरोक्त शर्तों में से किसी भी शर्त का उल्लंघन पाये जाने पर बिना किसी नोटिस के ऐजेन्सी को ब्लैक लिस्ट करने का अधिकार बोर्ड मे निहित होगा।

शस्ति

उपरोक्त उपविधि का उल्लघंन पर नगर पालिका अधिनियम 1916 की धारा–299(1)के अन्तर्गत दण्डनीय होगा, जो रू0 1000.00(एक हजार) तक हो सकता है ,और जब ऐसा भंग निरन्तर किया जाये,तो अग्रेत्तर जुर्माना किया जायेगा,जो प्रथम दोष सिद्धि के दिनांक के पश्चात् ऐसे प्रत्येक दिन के लिये जिसमें अपराधी का अपराध करते रहना सिद्धि हो,रू0 100.00 (एक सौ) तक हो सकता है यह-अधिकार **अधिशासी अधिकारी,नगर पंचायत गैरसैंण चमोली में अन्तिम रूप में निहित होगा।**

जी0एल0आर्य,
अधिशासी अधिकारी,
नगर पंचायत गैरसैंण।

जी0आर0विनवाल,
प्रशासक,
नगर पंचायत गैरसैंण।

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 38 हिन्दी गजट/373–भाग 8–2021 (कम्प्यूटर/रीजियो)।

मुद्रक एवम् प्रकाशक–अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड, रुड़की।